राजस्व अपील संख्या : 87 / 2024
उनवान : अन्नाराम व अन्य बनाम तहसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 87 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 519

अपीलाण्ट्स :–		रेस्पोडेण्ट्स :–
1. अन्नाराम पुत्र भुताजी 2. मनाराम पुत्र भुताजी 3. छौगी पुत्री भुताजी जातिगण सीरवी चौधरी, निवासीगण खुडाला, तहसील बाली, जिला पाली राज.	बनाम	1. तहसीलदार बाली 2. भरत कुमार पुत्र कुपाराम 3. विनोद कुमार पुत्र कुपाराम 4. पुजा कुमारी पुत्री कुपाराम नाबालिग जरिए कुदरती वली भाई भरत कुमार पुत्र कुपाराम तमाम जातिगण सीरवी चौधरी, निवासीगण खुडाला, तहसील बाली जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा खुडाला तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 1535 जो तहसीलदार बाली के द्वारा दिनांक 13.07.2022 का स्वीकृत किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री नेकाराम चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 02, 03 व 04 की ओर से अधिवक्ता श्री विजयराज चौधरी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

<u>–:निर्णय:–</u>

दिनांक: 21.04.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा खुडाला तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 1535 जो तहसीलदार बाली के द्वारा दिनांक 13.07.2022 का स्वीकृत किया गया, को निरस्त** करवाने बाबत् पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खुडाला, पटवार हल्का खुडाला की राजस्व सीमा क्षेत्र में खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1550 रकबा 6.89 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1551 रकबा 0.87 हैक्टर किस्म गै.मु.नाड़ी, खसरा नम्बर 1552 रकबा 9.13 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1553 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1554 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 1555 रकबा 7.32 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, कुल खसरा 06 कुल रकबा 24.30 हैक्टर हैं। अपीलाण्ट के स्वर्गीय पिता व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 04 के दादा स्वर्गीय भूता पुत्र धुला की भूमि आई हुई स्थित थी। भूता पुत्र धुला की मृत्यू दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
P.I.O.

राजस्व अपील संख्या : 87 / 2024

उनवान : अन्नाराम व अन्य बनाम तहसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

08.03.2003 को निर्वसियत हो चुकी है तथा स्वर्गीय भूता की धर्मपत्नी रबीदेवी की मृत्यू भी दिनांक 05.11.2015 को हो चुकी है, तथा स्व. भूता के पुत्र कुपाराम की मृत्यू भी दिनांक 03.04.2019 को एवं कुपाराम की पत्नी मांगीदेवी की मृत्यू दिनांक 03.11.2011 को हो चुकी हैं। स्व. भूता पुत्र धुलाजी के पीछे प्रथम श्रेणी के वारिसानों की सूचना अपील मीमो के सलंग्न है। पटवार हल्का खुडाला द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 04 से मिलकर भूता पुत्र धुलाजी के स्थान पर फौतेदगी नामान्तकरण की कार्यवाही करते हुए बिना किसी जांच के लापरवाही पूर्वक भूता के वारिसानों के रुप में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 04 के नाम से नामान्तरकरण संख्या 1535 दिनांक 05.07.2022 को भरा गया तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बिना सही जांच किये ही दिनांक 13.07.2022 को सही होने का पृष्ठांकन कर दिया गया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 तहसीलदार बाली द्वारा बिना जांच के ही उक्त नामान्तरकरण संख्या 1535 को दिनांक 13.07.2022 को स्वीकृत कर दिया जबकि स्व. भुता पुत्र धूला के वैध वारिसान एवं उत्तराधिकारी अपीलाण्ट संख्या 01 लगाय 03 का नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1535 में नहीं भरा गया।

स्व. भुता पुत्र धुलाजी के अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 04 प्रथम श्रेणी के वारिसान एवं उत्तराधिकारीगण है, लेकिन पटवार हल्का द्वारा बिना किसी आधारों के जेर अपील नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 04 के नाम से भरा गया एवं नामान्तरकरण की आलौच्य कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक था परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 01 एवं पटवारी द्वारा बिना सूचना पत्र दिये ही जैर अपील नामान्तरकरण खोला जाकर स्वीकृत किया। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की उक्त अपील स्वीकार की जाकर ग्राम खुड़ाला के खसरा संख्या 1550, 1551, 1552, 1553, 1554 एवं 1555 में जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1535 दिनांक 13.07.2022 को निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने लिखित जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित खातेदारी भूमि ग्राम खुड़ाला के संबंध में अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमों में स्व. भुता पुत्र धुला की बताई गई वंशावली सही एवं सत्य होने से स्वीकार हैं। ग्राम खुडाला के खसरा संख्या 1550 लगाय 1555 कुल खसरा 06 कुल रकबा 24.30 हैक्टर बाबत् भरा गया नामान्तरकरण पटवार हल्का खुडाला एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 तहसीलदार द्वारा गलत भरा जाकर स्वीकृत किया गया हैं। जिससे अपील में वर्णित तथ्य सही होने से अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोडेण्ट को कोई उजर आपत्ति नहीं हैं। तथा अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिये क्षमा किया जाता है तो भी रेस्पोडेण्ट को कोई आपत्ति नहीं हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner

राजस्व अपील संख्या : 87/2024
उनवान : अन्नाराम व अन्य बनाम तहसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ज़ैर अपील आराजी भूमि के संबंध में स्व. भुता पुत्र धुला का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय स्व. भुता के विधिक वारिसान अपीलाण्टगण को छोड़ते हुए उनके स्वर्गवासी पुत्र श्री कुपाराम के पुत्र व पुत्रियों के पक्ष में ही नामान्तरकरण दर्ज करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कर दिया गया, जबकि स्व. भुता पुत्र धुला के जायन्दा पुत्र एवं पुत्री होने के नाते ज़ैर अपील आराजी में अपीलार्थीगण का भी नाम इन्द्राज होना अपेक्षित था। इस प्रकार आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1535, स्वीकृति दिनांक 13.07.2022 स्व. भुता के विधिक वारिसान, की सम्यक् जांच के अभाव में ही तस्दीक एवं स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त किया जाए।

बहस के प्रत्युतर में काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या ,02 व 03 व 04 द्वारा जवाबपत्र में उल्लेखित तथ्यों को इंगित करते हुए निवेदन किया गया कि अपील मीमों में अंकित तथ्य सही एवं सत्य होने से स्वीकार किये जाते है। किन्तु यह कथन गलत है कि रेस्पो. संख्या एक तहसीलदार बाली द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 04 के साथ मिलीभगत कर आलोच्य नामान्तरकरण भरा गया है। अपितु हल्का पटवारी द्वारा लापरवाहीपूर्वक स्व. भुता पुत्र धुला के वैध वारिसानों की सही जांच नहीं की गई एवं त्रुटिपूर्ण ढंग से नामान्तरकरण संख्या 1535 दर्ज किया गया। यह भी, कि यदि उक्त नामान्तरकरण को अपास्त किया जाता है, तो रेस्पोडेण्ट्स को कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा अपील मीमों के संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया।

सर्वप्रथम तो, हस्तगत नामान्तरकरण अपील में विधि का सारभुत प्रश्न अन्तर्निहित होने से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत अपील को म्याद–शुमार घोषित किया जाता है।

जहां तक अपील मीमों में आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1535 के विरुद्ध अंकित आधारों का प्रश्न है, तो विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी खातेदार की निर्वसीयत मृत्यु हो जाने अथवा पुश्तैनी भूमि के संबंध में मृतक खातेदार के समस्त वैध उत्तराधिकारियों की सम्यक् जांच एवं तस्दीक उपरांत ही नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में मौजा खुडाला के खसरा संख्या 1550 लगायत 1555, कुल खसरान् 06 एवं कुल रकबा 24.30 हैक्टेयर के संबंध में ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण के ज़रिए स्वर्गीय भुता पुत्र धुला के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि उसके अन्य पुत्रों व पुत्री अर्थात अपीलार्थीगण के स्थान पर स्व. भुता के पूर्व मृत पुत्र कुपाराम के बेटों व बेटी के नाम इन्द्राज कर दी गई। विधि के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

CamScanner

प्रतिकुल इस तथ्य को स्वयं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 04 द्वारा अपने लिखित जवाब में स्वीकार भी किया गया है।

अतः मौजा खुड़ाला के खसरा संख्या 1550 से 1555 कुल खसरा 06 के संबंध में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1535 दिनांक 13.07.2022 वैधानिक प्रावधानों के विपरित होने तथा रेस्पोडेण्ट्स द्वारा अनापति ज़ाहिर करने के आधार पर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि ग्राम खुड़ाला के खसरा संख्या 1550 लगाय 1555 के संबंध में स्वर्गीय भुता पुत्र धुला के वैध उत्तराधिकारियों के संबंध में सम्यक जांच करे एवं जांच उपरांत इन्तकाल– अमलदरामद के संबंध में नये सिरे से कार्यवाही प्रभाव में लावे।

निर्णय आज दिनांक **21.04.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली